RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान –सरकार
कार्यालय उप निदेशक पर्यटन क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय
पर्यटक स्वागतकेन्द्र,कोटा

Tel:0744-2327695 Email: Trckota-dot@rajasthan.gov.in

क्रमांकः पविको / निविदा / 2026–27 / 98 दिनांक 20/5/2026

–: निविदा सूचना (01 / 2026–27) :–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में संभाग स्तर पर विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन विकास कार्यो का सुपरविजन, मौका निरीक्षण, बैठक तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध कराये जाने बाबत् अनुभवी, दक्ष एवं योग्य निविदादाताओं से वार्षिक दर संविदा की प्रक्रिया के माध्यम से निविदाएं अधोलिखित विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है :–

1.	उपापन किये जाने वाले कार्य / सेवा का विवरण	विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन विकास कार्यो का सुपरविजन, मौका निरीक्षण, बैठक तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध करायी जानी है। **(स्कॉप ऑफवर्क–निविदा के 'प्रपत्र–ब' के अनुसार)**
2.	कार्य की अनुमानित राशि	रू. 1.99 लाख मय जी.एस.टी
3.	बोली प्रपत्र शुल्क	रू. 200 / –
4.	बोली प्रतिभूति राशि	रू. 4000 / –
5.	निविदा जारी करने की तिथि	20/5/2026
6.	निविदा विक्रय की अंतिम तिथि मय समय	29.मई, 2026 प्रातः 11:00 बजे तक
7.	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि मय समय	29.मई, 2026 दोपहर 1:00 बजे
8.	तकनीकी बिड खोलने की दिनांक मय समय	29.मई, 2026 दोपहर 3:00 बजे
9.	वित्तीय बिड खोलने की दिनांक मय समय	29.मई, 2026 सायः 4.00 बजे
10.	बोली प्रपत्र पढने / देखने / डाउनलोड करने हेतु वेबसाईट का विवरण	• http://sppp.rajasthan.gov.in • https://www.tourism.rajasthan.gov.in/

इच्छुक बोलीदाताओं को तकनीकी बोली (प्रपत्र–अ) एवं वित्तीय बोली (प्रपत्र–ब) पृथक–पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते दिनांक 20.05.2026 से कार्यालय समय में निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क जमा कराके या वेबपोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in से ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है। बोली की पात्रता के संबंध में उपापन समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

बोली प्रपत्र एवं अन्य जानकारी विभाग की वेबसाईट https://www.tourism.rajasthan.gov.in/तथा वेबपोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर पढी / देखी / डाउनलोड की जा सकती है।

(विकास पंड्या)
उप निदेशक पर्यटन
कोटा
दिनांकः 20/5/2026

क्रमांकः पविको / निविदा / 2026–27 / 99

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित है :–

1. ACP, IT निदेशालय पर्यटन विभाग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय पर्यटक स्वागत केन्द्र, कोटा।

उप निदेशक

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान –सरकार
कार्यालय उप निदेशक पर्यटन क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय
पर्यटक स्वागतकेन्द्र,कोटा
Tel:0744-2327695 Email: Trckota-dot@rajasthan.gov.in

"प्रपत्र–अ"

निविदा क्रमांक : 01/2026–27

–: तकनीकी निविदा प्रपत्र :–

वित्तीय वर्श 2026–27 में संभाग स्तर पर विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन विकास कार्यो का सुपरविजन, मौका निरीक्षण, बैठक तथा कार्यालय के अन्य कार्यो हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध कराये जाने बाबत् कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा प्रपत्र :–

- **निविदादाता फर्म का नाम** ....
....
- **निविदादाता फर्म का पता व मो.नं.**..
....

1.	निविदादाता फर्म का पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करे)	
2.	निविदादाता फर्म का जी.एस.टी. नम्बर (छायाप्रति संलग्न करे)	
3.	बोली प्रतिभूति राशि रू. 4000.00 का विवरण (बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संलग्न करे)	
4.	ब्लैकलिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र (रू.50.00 के स्टाम्प पेपर पर)	
5.	घोषणा प्रपत्र एस.आर. – 11	
6.	वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 के वार्शिक टर्नओवर की सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रतियां, जो कि औसतन कम से कम रू. 2.00 लाख होना आवश्यक है।	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

उप निदेशक पर्यटन
क्षेत्रिय पर्यटन कार्यालय
कोटा संभाग, कोटा

RAJASTHAN
The Incredible State of India !

राजस्थान –सरकार

कार्यालय उप निदेशक पर्यटन क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय

पर्यटक स्वागतकेन्द्र,कोटा

Tel:0744-2327695 Email: Trckota-dot@rajasthan.gov.in

"प्रपत्र–ब"

निविदा क्रमांक : 01 / 2026–27

–: वित्तीय बोली प्रपत्र :–

वित्तीय वर्श 2026–27 में संभाग स्तर पर विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन विकास कार्यो का सुपरविजन, मौका निरीक्षण, बैठक तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध कराये जाने बाबत् कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बोली प्रपत्र :–

1. **निविदादाता फर्म का नाम व पता**..

....

2. **बोली प्रस्तुत करने की दिनांक**...

No.	Type of Vehicle		Particulars	Rates
1.	Swift Dezire / Equivalent Vehicle	(i)	Rent per day up to 250 km	
		(ii)	Rent per km for running more than 250 km (Mention minimum km charges per day)	
2.	Innova / Equivalent Vehicle	(i)	Rent per day up to 250 km	
		(ii)	Rent per km for running more than 250 km (Mention minimum km charges per day)	
3.	Bolero / Tavera /Equivalent Vehicle	(i)	Rent per day up to 250 km	
		(ii)	Rent per km for running more than 250 km (Mention minimum km charges per day)	
4.	Bus/ Tempo Traveler	(i)	Rent per day up to 250 km	
		(ii)	Rent per km for running more than 250 km (Mention minimum km charges per day)	
Rate for out of the division and state level -				
5.	Innova / Equivalent Vehicle	(i)	Rent per km for out of the division and state level (Mention minimum km charges per day)	

NOTE-Rates shall be submitted Inclusive of all charges of fuel, toll tax, GST and other expenditure.

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

उप निदेशक पर्यटन
क्षेत्रिय पर्यटन कार्यालय
कोटा संभाग, कोटा

"प्रपत्र–स"

निविदा क्रमांक : 01/2026–27

–: निविदा से संबंधित आवश्यक विवरण व शर्तें :–

वित्तीय वर्ष 2026–27 में संभाग स्तर पर विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन विकास कार्यो का सुपरविजन, मौका निरीक्षण, बैठक तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप किराये पर वाहन की व्यवस्था As and When Basis पर उपलब्ध कराये जाने बाबत् कार्यालय द्वारा जारी की गई निविदा से संबंधित आवश्यक विवरण व शर्तेंनिम्नानुसार है :–

1. सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होगी।
2. **निविदादाता द्वारा दर जी.एस.टी. व अन्य कर, ईधन तथा अन्य व्यय यथा टोल टैक्स आदि को सम्मिलित कर अंकित की जावें।**
3. वाहनों का उपयोग संभाग स्तर हेतु विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले विभिन्न मेले–त्यौहार, पर्यटन विकास कार्यो का सुपरविजन, मौका निरीक्षण, बैठक तथा कार्यालय के अन्य कार्यों हेतु कार्यालय के अन्य कार्यो के लिए किया जा सकेगा।
4. संभाग स्तर तथा राजस्थान राज्य से बाहर ईनोवा (ए.सी.) की व्यवस्था के लिए अलग से दर आमंत्रित की गई है। निविदादाता दर प्रस्तुत करने से पूर्व स्कोप ऑफ वर्क को भली–भांति समझ लेंवे।
5. तकनीकी निविदा में सफल होने के पश्चात ही वित्तीय निविदा को खोला जावेगा तथा न्यूनतम दर दाता (एल–1) को कार्यादेश दिया जावेगा।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईड लाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेगें।
7. **यह अनुबन्ध करार की दिनांक से 31.03.2027 तक मान्य होगा। अनुबन्ध की अवधि विभाग तथा संवेदक की सहमति से विद्यमान शर्तों एवं दरों पर आगे भी बढाई जा सकेगी।**
8. **बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि के 90 दिन की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।**
9. बोली प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय के उपरांत बोली स्वीकार नही की जावेगी।
10. **निविदादाता द्वारा यात्रा हेतु उपलब्ध कराये गये वाहन की साफ–सफाई का विशेश ध्यान रखना होगा।**
11. **विभाग न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है।**
12. राजस्थान परिवहन अधिनियम/नियमों के अधीन पंजीकृत वाहनों के लिए ही निविदाएं मान्य होंगी।
13. विभाग द्वारा वाहन की मांग की जाने पर तत्काल (2 घंटे में) उपलब्ध करवाना होगा।
14. निविदादाता द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 के वार्शिक टर्नओवर की सी.ए. द्वारा प्रमाणित प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न की जानी है, जो कि औसतन कम से कम रू. 2.00 लाख होना आवश्यक है।
15. निविदा में भाग लेने वाली फर्म ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए तथा फर्म के विरूद्ध किसी प्रकार की देयता बकाया नही है, इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य है।
16. एक लिफाफे में तकनीकी बोली प्रपत्र, शर्ते, डी.डी. तथा अन्य सभी प्रपत्र तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बोली प्रपत्र कों रखना है तथा दोनो लिफाफों को एक बड़े लिफाफे मे डालकर कार्यालय में प्रस्तुत करें जिस पर कार्य का नाम लिखा हो, जिसके लिए बिड दिया जाना है।
17. निविदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह दरे प्रस्तुत करने से पूर्व स्कोप ऑफ वर्क को भली–भांति समझ लेंवे।
18. निविदा प्रारूप/प्रपत्र स्याही से भरे जाएंगे या टंकण से भरा जाएगा पेंसिल से की गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। दरें स्पष्ट तथा अंको व भाब्दों में लिखी जानी चाहिए।
19. निविदादाता द्वारा तकनीकी दर निविदा में जी.एस.टी. सर्टीफिकेट लगाना अनिवार्य होगा।केन्द्र/राज्य सरकार को देय समस्त कर जमा कराने का उत्तरदायित्व भी संवेदक का होगा।
20. निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि तथा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि DEPUTY DIRECTOR TOURISM KOTA के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा ही मान्य होगी, अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
21. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 200:00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

उप निदेशक पर्यटन
पर्यटक स्वागत केन्द्र
कोटा संभाग, कोटा

20. निविदा प्रपत्र शुल्क, बोली प्रतिभूति राशि तथा कार्य संपादन प्रतिभूति राशि DEPUTY DIRECTOR TOURISM KOTA के नाम बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा ही मान्य होगी, अन्यथा निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
21. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की स्थिति में निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 200.00 का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
22. **करार एवं कार्य संपादन प्रतिभूति राशि (Agreement and Performance Security):** —
    - सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस में कार्य संपादन प्रतिभूति राशि रू. अनुमानित लागत की 5 प्रतिशत बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी होगी।
    - सफल निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च पर राशि रू. 500.00 के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में पर्यटन विभाग, जयपुर के हित में शर्तों की पालना हेतु अनुबंध पत्र लिपिबद्ध कर, कार्यालय में जमा कराना होगा, जिस पर गवाहों के हस्ताक्षर होंगे।
    - कार्य संपादन प्रतिभूति राशि पर पर्यटन विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा उक्त राशि अनुबंध के सुचारू रूप से पूर्ण होने के बाद नियमानुसार लौटाई जावेगी।

कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Secruity Deposit)— कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा—

- जब संविदा की शर्तों का उल्लघंन किया गया हो।
- जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- जब बोलीदाता कार्यादेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भकरने में असफल रहता हो।
- कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में आयुक्त, पर्यटन विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

23. निविदा प्रपत्र शुल्क तथा बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदा पूर्णतया निरस्त मानी जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।
24. **बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security)** :—बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण (Forfeiture) किया जा सकेगा
    - जब बोलीदाता बोली खुली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण (Modification) करता है।
    - जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार/अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करता है।
    - जब बोलीदाता कार्यादेश के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
    - निहित समय के भीतर आपूर्ति आदेश के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने पर विफल रहता है।
25. अनुबन्ध की अवधि में संविदा की किसी भी शर्त का उल्लघंन करने की स्थिति में विभाग को फर्म की धरोहर राशि/प्रतिभूति राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जब्त करने का अधिकार होगा।
26. कार्य की तत्कालीनता को देखते हुए दूरभाष पर भी आदेश दिये जा सकेंगे जो निविदादाता को मान्य होंगे। इसकी पुष्टि के बाद में आदेश जारी किये जा सकेंगे।
27. किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। कार्य का भुगतान नियमानुसार कोषालय से बिल पारित होने के उपरान्त किया जावेगा। सफल निविदादाता को बिल 2 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा तथा ऑनलाईन बिल के भुगतान हेतु फर्म को अपना जी.एस.टी. नम्बर, पैन नम्बर, बैंक का नाम, खाता संख्या, आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर आदि उपलब्ध कराना होगा।
28. कार्य संपादन में कमी, न्यूनता, देरी, प्रतिस्पर्धा आदि से संबंधित नियम उक्त निविदा पर लागू होंगे तथा नियमानुसार कटौती की जावेगी।
29. भुगतान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार किया जायेगा। बिल से नियमानुसार होने वाली कटौतियॉ जैसे आयकर/जी.एस.टी. आदि की कटौती की जायेगी।
30. निविदादाता द्वारा वाहन की लोग शीट निर्धारित प्रारूप में संधारित की जाएगी जो कि बिल के साथ दो प्रतियों में प्रस्तुत की जानी है।

उप निदेशक पर्यटन
पर्यटक स्वागत केन्द्र
कोटा संभाग, कोटा

31. उपापन समिति किसी व्यक्ति, फर्म, ट्रैवल एजेंसी जो स्वयं के नाम से टैक्सी के रूप में पंजीकृत वाहन रखते हो, से निविदाएं स्वीकार करने पर विचार कर सकेगी।
32. वाहन में किसी भी प्रकार की टूट–फूट, चालान, चोरी अथवा ऐक्सीडेंट होने पर उसके लिये वाहन मालिक ही उत्तरदायी होगा। विभाग की इस संबंध में कोई जिम्मेदारी नही होगी। वाहन मालिक ही पूर्ण रूपेण जम्मेदार होगा तथा मुआवजे की भरपायी करेगा।
33. वाहन उपयोग हेतु स्वीकृत दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा न ही अग्रिम रूप से भुगतान किया जायेगा। राज्य सरकार को नियमानुसार देय समस्त प्रभार/टैक्स, जी.एस.टी. टोल टैक्स आदि का भुगतान स्वयं संवेदक द्वारा किया जायेगा।
34. वाहन एवं वाहन चालक के समस्त कागजात (RC, DL, Permit and Insurance)नियमानुसार पूर्ण एवं अद्यतन होने चाहिए।
35. वाहन का पंजीकरण, बीमा संबंधी व्यय एवं ड्राईवर के लाइसेंस आदि की व्यवस्था संवेदक की होगी। यदि परिवहन विभाग द्वारा कोई पैनेल्टी लगाई जाती है, तो उसके भुगतान का दायित्व संवेदक का होगा।
36. किसी भी यांत्रित/परिस्थिति जन्य त्रुटि के कारण विभाग के प्रयोजनार्थ की जा रही यात्रा में यदि विभागको अतिरिक्त मूल्य के वाहन की व्यवस्था करने परवहन करना होता है, तो उक्त राशि फर्म के बिल में से समायोजित की जावेगी।
37. निविदादाता को यह सुनिश्चित करना होगा की प्रत्येक वाहन जो विभाग के कार्य हेतु प्रयुक्त होना है, में किलोमीटर रिंडिंग दर्शाने वाला मीटर सही ढंग से चल रहा है।
38. किसी स्थान विशेष की यात्रा में यदि किलोमीटर रिडींग असामान्य रूप से परिवर्तित होना प्रतीत होता है तो कि.मी. का निर्धारण पी.डब्लु.डी./रोडवेज द्वारा प्रकाशित मानचित्र में अंकित दूरी अनुसार किया जा कर भुगतान उसी अनुरूप किया जा सकेगा।
39. सफल निविदादाता अपनी निविदा अथवा उसके सारभूत किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नही सौंप सकेगा एवं नहीं किसी को आगे भाडे (Sub-let) पर नहीं देगा।
40. वाहन का पंजीयन टी. श्रेणी का होना चाहिए।
41. वाहन को किसी गंतव्य स्थल पर जाने एवं वापस आने पर यात्रा में उपयोग होने वाले ईंधन एवं वाहन की मरम्मत संबंधी समस्त व्यय संवेदक को वहन करने होंगे एवं ईधन की दरों में कमी/वृद्धि होने पर अनुमोदित दरों में कोई परिवर्तन नही होगा।
42. वाहन में ईंधन के रूप में एल.पी.जी. सिलेंडर का प्रयोग नहीं किया जावेगा।
43. यात्रा के दौरान वाहन चालक किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेगा तथा विधि एवं नियमों के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करेगा।
44. विभाग की मांग पर वाहन उपलब्ध नहीं होने या वाहन खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन की व्यवस्था संवेदक की जिम्मेदारी पर की जावेगी, जिसकी अंतर राशि की वसूली संवेदक से की जावेगी।
45. विभाग में आपूर्तिकर्ता वाहन का पंजीयन, परमिट, रोड़ टैक्स, बीमा, फिटनेस, पियूसी सर्टिफिकेट इत्यादि की छाया प्रति उपलब्ध करानी होगी।
46. विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों व उपबंधों की पालना करनी होगी।
47. **विशिष्ट परिस्थितियों में विभाग का अनुबन्ध अवधि पूर्ण होने से पूर्व भी समाप्त करने का अधिकार होगा। इसके लिए विभाग से निविदादाता को कोई क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।**
48. यात्रा में प्रयुक्त होने वाला वाहन छः वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
49. यात्रा के दौरान वाहन चालक (ड्राइवर) के रहने एवं खाने की की जिम्मेदारी फर्म की होगी। वाहन चालक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से किसी भी प्रकार का रहने एवं खाने के व्यय की माँग नहीं कर सकेगा।
50. यात्रा के दौरान वाहन चालक (ड्राइवर) को विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से शालीन व्यवहार करना होगा। वाहन चालक कोविभाग के अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
51. **अनुबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों के संबंध में उपनिदेशक, पर्यटन विभाग कोटा, राजस्थान सरकार का निर्णय अंतिम होगा जो अनुबंधकर्ता को बाध्यकारी होगा।**
52. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अजमेर होगा।
53. निविदा पर Force Majeure प्रावधान लागू होंगे।

उप निदेशक, पर्यटन
क्षेत्रीय पर्यटन स्वागत
केन्द्र, राजस्थान, कोटा

54. **संतोषजनक कार्य नहीं होने की स्थिति में अनुबन्ध को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है तथा प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।**

55. इस निविदा की किसी शर्त तथा राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 में विरोधाभास होने की स्थिति में राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 विधिमान्य रहेगें।

56. उप निदेशक, पर्यटक स्वागत केन्द्र, कोटा को निविदा या उसके किसी भाग को स्वीकार करने का, बिना कारण बताए निरस्त करने का तथा निविदा के संबंध में समस्त निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित हैं।

57. इस निविदा के निर्वचन के संबंध में किसी प्रकार की समस्या/संदेह हो तो निम्नलिखित से सम्पर्क किया जा सकता हैं।

- नाम – श्री संदीप श्रीवास्तव, सहायक निदेशक पर्यटन कोटा
- कार्यालय का नाम व पता – पर्यटक स्वागत केन्द्र, आर.टी.डी.सी. होटल चम्बल परिसर, नयापुरा कोटा।
- दूरभाष नम्बर – 0744 2327695
- ई–मेल – trckota-dot @rajasthan.gov.in

58. निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

<u>मैने उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 58 तक सभी शर्तें पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं एवं समझ ली हैं तथा उक्त समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।</u>

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

उप निदेशक पर्यटन
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय
कोटा संभाग, कोटा

ब्लेक लिस्ट/अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र

(50 रु के स्टाम्प पर)

मैं/हम घोषणा करता हूँ करते हैं कि हमारी फर्म को किसी भी राजकीय 'विभाग / राजकीय संस्थान/निगम / बोर्ड आदि के द्वारा सामान / सामग्री की गुणवत्ता एवं सन्तोप्रद आपूर्ति नहीं करने के लिए कोई शास्ति आरोपित नहीं की गई है एवं न ही ब्लेक लिस्ट/अयोग्य घोषित किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले यिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपृहत किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

उप निदेशक पर्यटन
क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय
कोटा संभाग, कोटा

एसआर फॉर्म - 11

बोलीदाता द्वारा घोषणा (DECLARATION BY Bidder)

मैं / हम घोषणा करते हैं कि मैं / हम वास्तविक (bona fide) निर्माता / थोक विक्रेता / एकमात्र वितरक / अधिकृत डीलर / डीलर / एकमात्र विक्रेता / विपणन एजेंट हैं, उन वस्तुओं / सेवाओं / स्टोरों / उपकरणों के लिए जिनके लिए मैंने / हमने बोली लगाई है। यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है, तो बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी भी अन्य कार्रवाई के अलावा, मेरी / हमारी सुरक्षा पूरी तरह से जब्त की जा सकती है और यदि निविदा (टेंडर) स्वीकार की गई है तो उसे रद्द किया जा सकता है।

मुहर सहित बोलीदाता के

हस्ताक्षर

(Signature of the bidder with stamp)

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Confict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any and

(h) Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of interest.

A conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to :

a. Have controlling partners/ shareholders in common; or
b. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. Have the same legal representative for purposes of the Bid ;or
d. Have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. The Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. The Bidder or any or its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;

3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings ;

5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date : Signature of bidder

Place : Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is DG & IG Prisons, Rajasthan, Jaipur

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary/Principle Secretary, Home Department, Secretariate Rajasthan, Jaipur

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved :

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings.

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement.
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process.
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations.
- (d) Cancellation of a procurement process.
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) **Fee for filing appeal**

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) **Procedure for disposal of appeal**

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall –

(i) hear all the parties to appeal present before him: and

(ii) peruse of inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Annexure D

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.

ii. If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected, and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, work or services originally specified in the bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding Document due to change in circumstances, the bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of the supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than on Bidder at the time of award (in case of procurement of Goods)

(i) As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose Bid is accepted.

Form No.1
(See rule 83)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No..........of.............

Before the ....(First/ Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant :
   (i) Name of the appellant :
   (ii)Official address, if any :
   (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent (s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved :
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative :
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal :
6. Grounds of appeal :..
   ....
   .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer :...
   ....
   ....

Place ....
Date ....

Appellant's Signature